भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 514

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

एआई डेटा केंद्र

514. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य व्यापक स्तर के डेटा केंद्रों के तीव्रता से विस्तार और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड और ताजे पानी के संसाधनों की बढ़ती मांग का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एआई और अन्य डेटा केंद्रों की कुल बिजली और ताजे पानी की खपत संबंधी डेटा रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का डेटा केंद्रों में ऊर्जा और जल दक्षता को विनियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश, मानक या नीतियाँ प्रस्तावित करने का विचार है; और

(घ) डेटा केंद्रों और घरेलू खपत की आवश्यकताओं के लिए बिजली स्त्रोत की भावी मांग के प्रबंधन के लिए क्या कदम विचाराधीन हैं या कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(घ):** सरकार देश भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और बड़े पैमाने पर डेटा केंद्रों के तेजी से उपयोग और आवश्यकता से अवगत है। यह इस वृद्धि से जुड़े ऊर्जा अवसंरचना की मांग में होने वाली संबंधित वृद्धि से भी अवगत है।

इंडियाएआई मिशन और गणना क्षमता

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने इंडियाएआई मिशन शुरू किया है। अब तक इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता ढांचे के तहत 14 सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं/डेटा केंद्रों से 38,231 जीपीयू को शामिल किया गया है।

ऊर्जा की मांग के लिए योजना बनाना

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा हर पांच साल में राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार की जाती है। इसमें अनुमानित बिजली आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, जिसमें एआई और डेटा केंद्रों के विकास से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

विद्युत मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, डेटा केंद्रों से बिजली की मांग 2031-32 तक लगभग 13.6 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत सरकार डेटा केंद्र प्रदाताओं को सतत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उपयोग दक्षता (पीयूई) में सुधार हुआ है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने निम्नलिखित मानदंड और मानक निर्दिष्ट किए हैं:

- चिलर हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी), एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) पंखे आदि में ऊर्जा उपयोग के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी 2017)।
- ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन संहिता (ईसीएसबीसी 2024), जिसमें ऊर्जा और जल मानकों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

भारत का बिजली उत्पादन और पारेषण बुनियादी ढांचा बिजली की मांग को पूरा करने और क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित है।

****